अनुदान संख्या 8 – उर्वरक विभाग
GRANT No. 8–DEPARTMENT OF FERTILIZERS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	17048,11,00	19248,11,00	19415,55,05	+167,44,05
पूरक	Supplementary	2200,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,32,52
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	118,96,00	134,96,00	128,13,00	–6,83,00
पूरक	Supplementary	16,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6,83,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, यद्यपि दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में 220000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 16744.05 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 167,44,04,796 रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, although supplementary grants of Rs.220000.00 lakhs was obtained in December, 2005 and March, 2006, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.16744.05 lakhs (actual excess was Rs.167,44,04,796). **The excess requires regularisation by voting of excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services					
मू.	O.	643.00		757.49	760.58	+3.09
पु.	R.	114.49				
मुख्य शीर्ष "2401" फसल कृषि कर्म	Major Head "2401" Crop Husbandry					
मू.	O.	691178.00				
पू.	S.	185000.00		876078.12	873708.29	–2369.83
पु.	R.	–99.88				
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries					
मू.	O.	1012988.00				
पू.	S.	35000.00		1047841.87	1067086.18	+19244.31
पु.	R.	–146.13				

(I) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - उर्वरक विभाग" के अंतर्गत 117.58 लाख रु. का अधिक व्यय (643.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक चिकित्सा दावे प्राप्त होने, मंहगाई भत्ते में वृद्धि होने और कार्यालय का नवीकरण किए जाने के कारण हुआ।

(I) Under Major Head "3451" -"Secretariat - Department of Fertilizers" - excess of Rs.117.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.643.00 lakhs) was due to receipt of more medical claims, increase in dearness allowance and renovation of office.

(II) मुख्य शीर्ष "2401" - "खाद तथा उर्वरक - आयातित विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए अदायगी" के अंतर्गत 4699.97 लाख रु. का अधिक व्यय (85000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 205000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के लंबित दावों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(II) Under Major Head "2401" - "Manures and Fertilizers - Payment for Concessional Sale of Imported Decontrolled Fertilizers" - excess of Rs.4699.97 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.205000.00 lakhs including supplementary grant of Rs.85000.00 lakhs) was due to payment of pending claims of subsidy on imported decontrolled fertilizers.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" - "उर्वरक उद्योग - उर्वरक आर्थिक सहायता - उर्वरक प्रतिधारण कीमत स्कीम के अधीन अदायगियां" के अंतर्गत 19240.68 लाख रु. का अधिक व्यय

(III) Under Major Head "2852"-"Fertilizer Industries - Fertilizer Subsidy - Payment under Fertilizers Retention Price Scheme"- excess of Rs.19240.68 lakhs (against the total sanctioned

(35000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 941037.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की प्राप्ति की तुलना में व्यय को दर्ज किए जाने के कारण हुआ।

2. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नानुसार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) 5.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2401'' - 'उर्वरकों का आयात' के अंतर्गत 171178.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 221178.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, उर्वरकों के पर्याप्त देशी उत्पादन की वजह से कम आयात किए जाने के कारण 7089.62 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' - 'उर्वरक उद्योग - अनुसंधान और विकास - भारत-इंग्लैंड उर्वरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान' के अंतर्गत 115.13 लाख रु. की बचत (1495.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वी भारत वर्षा आधारित खेती परियोजना को पूरा किए जाने के कारण हुई।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (683.00 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 1600.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 43 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

provision of Rs. 941037.00 lakhs including supplementary grant of Rs.35000.00 lakhs) was due to booking of the expenditure against receipt of previous year.

2. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Provision of Rs.5.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under Major Head "2401"-"Import of Fertilizers" – the original provision of Rs.171178.00 lakhs was augmented to Rs.221178.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.7089.62 lakhs - due to less import owing to sufficient indigenous production of fertilizers.

(III) Under Major Head "2852" - "Fertilizer Industries -Research and Development - Grants under Indo-UK Fertilizer Development Programme" - saving of Rs.115.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1495.00 lakhs) was due to completion of Eastern India Rain fed Farming Project.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.683.00 lakhs) constituted 43 percent of the supplementary grant of Rs.1600.00 lakhs obtained in March, 2006 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1400.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1400.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "6855" उर्वरक उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6855" Loans for Fertilizer Industries					
मू.	O.	8147.00				
पू.	S.	1600.00		10464.00	10464.00	. .
पु.	R.	717.00				

(I) 1402.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1400.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजना/स्कीम के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधितपरियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारणलेखाबद्ध किए गए थे।

(I) Provision of Rs.1402.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.1400.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" – "Other Expenditure - Lumpsum provision for Project/Scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim

(II) मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - मद्रास उर्वरक लिमिटेड" के अंतर्गत 680.00 लाख रु. की बचत (1629.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ स्कीमों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "6855"- "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Madras Fertilizer Limited" - saving of Rs.680.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1629.00 lakhs) was due to non-materialisation of some of the schemes.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा पूर्णतया प्रतिसंतुलित हो गईं - 1400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2515.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधितपरियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were fully offset by excess under Major Head "6855" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Brahamputra Valley Fertilizers Corporation Ltd." - excess of Rs.1400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2515.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.